

गुडामालानी

घादीगण -

1. तुलछी देवी पत्नी सवाराम उम्र 75 वर्ष
2. बालाराम पुत्र सवाराम उम्र 42 वर्ष
3. करतुराराम पुत्र कमाराम उम्र 52 वर्ष
जाति भील निवासी बेरीगांव तहसील गुडामालानी
जिला बाइमेर

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. भगाराम पुत्र घोंकलाराम उम्र 60 वर्ष
2. पैलादराम पुत्र घोंकलाराम उम्र 58 वर्ष
3. किरताराम पुत्र घोंकलाराम उम्र 55 वर्ष
4. दीपाराम पुत्र घोंकलाराम उम्र 53 वर्ष
5. तगाराम पुत्र कमाराम उम्र 60 वर्ष
6. मेहराराम पुत्र कमाराम उम्र 57 वर्ष
7. मोहन पुत्र कमाराम उम्र 53 वर्ष
8. केवाराम पुत्र कमाराम उम्र 50 वर्ष
9. रुपाराम पुत्र कमाराम उम्र 48 वर्ष
10. वजाराम पुत्र कमाराम उम्र 46 वर्ष
11. मकाराम पुत्र भारमलराम उम्र 80 वर्ष
12. केसाराम पुत्र कालुराम उम्र 55 वर्ष
13. सगताराम पुत्र कालुराम उम्र 53 वर्ष
14. भंवराराम पुत्र कालुराम उम्र 51 वर्ष
15. पुनमाराम पुत्र कालुराम उम्र 48 वर्ष
16. लक्ष्मीदेवी पत्नी कालुराम उम्र 72 वर्ष
17. गोरखाराम पुत्र पताराम उम्र 56 वर्ष
18. जालाराम पुत्र पताराम उम्र 54 वर्ष
19. सुजाराम पुत्र पताराम उम्र 52 वर्ष
20. सुन्दर पत्नी पताराम उम्र 75 वर्ष



10/02/2016

- 21 भारमाराम पुत्र कुष्माराम उम 58 वर्ष
- 22 मोहन पुत्र कुष्माराम उम उम 54 वर्ष
- 23 पारवती पति कुष्माराम उम 75 वर्ष
- 24 जोराराम पुत्र पद्माराम उम 60 वर्ष
- 25 भारमाराम पुत्र पद्माराम उम 58 वर्ष

जाति भील निवासी बेरीगांव तहसील गुडामालानी
जिल्हा साबरी

26 ज्योतीदेवी पति तररीराम जाति भील निवासी गुडामालानी
जिल्हा साबरी

- 27 ज्योतीदेवी पति केवाराम
- 28 सोरभदेवी पति सांभलाराम

जाति भील निवासी बेरीगांव तहसील गुडामालानी


- 29 शास्त्र प्रबन्धक एसबीआई गुडामालानी
- 30 भीमान तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुडामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 89, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा, बंटवाडा व पाने स्थायी निवेधाज्ञा

महोदयजी,

वादीगण का वाद निम्न प्रकार से प्रस्तुत है कि :-

1. कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 एक ही परिवार के सदस्य है तथा एक ही पूर्वज स्व. भारमल के वंशज है जिनकी वंश वृक्षावली निम्न प्रकार है :-



२२/०१/२१

पत्रावली काज पेरा हुयी वासीगा
वा वासीगा के कछिअवता कछुअस्थि
वासीगा के मज कछिअवता कोर्ट
समय में नीर वार नीर-नीर कछिअ
दिल्ली गरी वावज कछिअ दिल्ली
के वासीगा क वासीगा के कछिअवता
कछुअस्थि का उक्त कवका
प्रकरण वासीगा की काज होरी
वा उक्त पैरकी में रकडिअ क्रिया
जाता है कावली विधि म सुकर
होकर डारिअल इफाए है।

ह
सहायक कलेक्टर, गुडामालानी